सप्तदश बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 शुक्रवार, दिनांक-16 दिसम्बर, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.21 बजे पूर्वाह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 08 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 06 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 07 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 134 तारांकित प्रश्न अनागत।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करने तथा अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि गंभीर से गंभीर विषय को भी सदन में उठाने का नियम बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में है तथा सरकार की तरफ से सदन को आश्वस्त किया कि नियमावली में जो भी प्रावधान हैं उसके तहत जो भी विषय उठाया जायेगा और आसन जैसा निदेश करेगा सरकार उसके उत्तर के लिए हमेशा तैयार रहेगा।

तत्पश्चात आसन द्वारा कहा गया कि प्रश्नकाल को बाधित करना उचित नहीं है। यह प्रश्नकाल बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही चल रही है। जब कार्यस्थगन का समय आयेगा तब आसन उसपर विचार करेगा।

आसन द्वारा पुनः विपक्ष के माननीय सदस्यों से सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहयोग करने तथा अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया। परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 12:00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(12.00 बजे मध्याह्न से 12:42 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[2] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–**

(i) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018–19 के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020–21 के प्रतिवेदन "राजस्व प्रक्षेत्र", "बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन", "खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" तथा "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" की एक–एक प्रति को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018–19 के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020–21 के प्रतिवेदन "राजस्व प्रक्षेत्र", "बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन", "खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" तथा "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो"। इसपर सदन की सहमति हुई।

(iii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम–2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(iv) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम–2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(v) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार राजकोषीय उतरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–13 के तहत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह चौदह दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा।

(vi) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा–8(3) के तहत् बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 से संबंधित अधिसूचना संख्या–776, 777, दिनांक–30.09.2022 तथा अधिसूचना संख्या–864, दिनांक–09.11.2022 एवं अधिसूचना संख्या–1019, दिनांक–09.12.2022 का हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह चौदह दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा।

(vii) माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या–1226, दिनांक–12.03.2018) एवं बिहार संख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 (अधिसूचना संख्या–4360 दिनांक–13.12.2021) की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(viii) माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, डॉ० रामानन्द यादव द्वारा "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019" के नियम–90 के तहत अधिसूचना संख्या–4352/एम, दिनांक–30.08.2022 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(ix) माननीय मंत्री, विधि विभाग, श्री शमीम अहमद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धरा–18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2019–20 का वार्षिक लेखा की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(x) माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या–2 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(xi) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरि नारायण सिंह द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का क्रमशः 211वाँ, 216वाँ एवं 218वाँ प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] <u>कार्य स्थगन प्रस्ताव</u> :–

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री राणा रणधीर, श्री संजय सरावगी एवं श्री जनक सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्य श्री जनक सिंह वेल में आकर अव्यवस्थित तरीके से सदन के संचालन में अवरोध पैदा करने लगे।

आसन द्वारा माननीय सदस्य के इस कृत पर चेतावनी देते हुए कहा गया कि वह अपने स्थान पर जा कर बैठ जाये अन्यथा आसन उनके विरूद्ध सक्षम कार्रवाई करेगा।

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला उठाया गया।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर सरकार मर्माहत है। सरकार पारदर्शी तरीके से इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। इसमें संलिप्त जो भी पदाधिकारी/कर्मचारी होंगे उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि महात्मा गाँधी जी के शराबबंदी के विचार को उन्होंने घर–घर तक पहुँचाने का काम किया है। सरकार मजबूती से शराबबंदी की कोशिश कर रही है।

आसन द्वारा कहा गया कि सरकार की नीयत शराबबंदी पर अडिग है तथा इसमें जिनकी भी संलिप्तता पायी जायेगी सरकार उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अपराह्न से 05:45 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा सीवान और बेगुसराय में भी जहरीली शराब से हुई मौत का मामला उठाया गया तथा इसपर चर्चा की माँग करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण से अपने–अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया।

[4] <u>वित्तीय कार्य</u> :–

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांगों में से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की माँग पर कटौती प्रस्ताव के लिए आसन द्वारा क्रमशः माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अखतरूल ईमान का नाम पुकारा गया, परन्तु इनके द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

सदन में प्रस्तुत अनुदान की माँग पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

(i) श्री विजय कुमार सिन्हा

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण राज्य में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सदन में चर्चा की मांग करते हुए असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गये।

(ii) श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(iii) श्री ललित नारायण मंडल
(iv) श्री राकेश कुमार रौशन
(v) श्री छत्रपति यादव
(vi) श्री सत्यदेव राम
(vii) श्रीमती रेखा देवी
(viii) श्री जीतन राम मॉझी

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(ix) श्री अजय कुमार
(x) श्री सुर्यकान्त पासवान
(xi) श्री अखतरूल ईमान

इसके उपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा वाद–विवाद का उत्तर दिया गया एवं पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुई और वित्तीय वर्ष 2022–23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँग गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

सदन की सहमति से आसन द्वारा सदन की कार्यवाही कार्यसूची में अंकित शेष कार्यों की समाप्ति तक विस्तारित किया गया।

[5] विधायी कार्य :–

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2022''

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा विस्तारपूर्वक पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त ''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2022'' सदन से स्वीकृत हुआ।

[6] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 59 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ द्वारा सदन को सूचित किया कि समाचार के अनुसार माननीय नेता विरोधी दल के रिश्तेदार के घर पर शराब की बोतलें जब्त हुई हैं।

आसन द्वारा सरकार को इसका संज्ञान लेने का निदेश दिया गया। सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि सरकार आसन के निदेश का पालन करेगी।

तदुपरान्त सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–16.12.2022

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।